

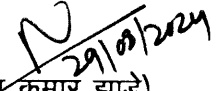
छत्तीसगढ़ शासन
वित्त विभाग
--:: मंत्रालय ::--
महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर
//आदेश//

नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 29/08/2024

क्रमांक 3339/सम./ब-4/चार: छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय के आदेश क्रमांक/275/सम./ब-4/चार, दिनांक 15.02.2023 को अधिक्रमित करते हुए सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 19 (1) एवं छत्तीसगढ़ सूचना का अधिकार (अपीलीय) नियम, 2006 के नियम 3 के अंतर्गत डॉ.अखिलेश कुमार सिंह, अपर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग को एतद्वारा तत्काल प्रभाव से, प्रथम अपीलीय अधिकारी पदनामित किया जाता है। विवरण निम्नानुसार है :-

नाम	पदनाम	मोबाईल	कार्यालयीन पता
डॉ.अखिलेश कुमार सिंह	प्रथम अपीलीय अधिकारी	62642-82851	कक्ष क्रमांक S1-47, वित्त विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

(सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग द्वारा अनुमोदित)

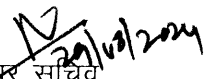

(राजीव कुमार झाडे)
अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग

पृ. क्रमांक 3340/सम./ब-4/चार,
प्रतिलिपि :-

नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 29/08/2024

1. शासन के समस्त विभाग
2. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग के स्टॉफ ऑफिसर/निज सचिव/निज सहायक, मंत्रालय
3. सचिव, छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयोग, सेक्टर-19, नार्थ ब्लॉक, नवा रायपुर अटल नगर,
4. विशेष सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग के निज सहायक, मंत्रालय
5. संचालक, कोष लेखा एवं पेंशन/पेंशन एवं भविष्य निधि/छत्तीसगढ़ राज्य संपरीक्षा/संस्थागत वित्त, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर
6. संचालक, वित्तीय प्रबंध एवं सूचना प्रणाली, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर
7. समस्त अपर सचिव/संयुक्त सचिव/उप सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय
8. डॉ.अखिलेश कुमार सिंह, प्रथम अपीलीय अधिकारी, छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर
9. श्री राजेश कुमार सिसोदिया, संयुक्त सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर
10. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, कोष लेखा एवं पेंशन, छत्तीसगढ़
11. समस्त कोषालय अधिकारी, छत्तीसगढ़
12. समस्त अवर सचिव/विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, वित्त विभाग, मंत्रालय
13. समस्त अनुभाग, वित्त विभाग, मंत्रालय
14. प्रोग्रामर, संचालनालय वित्तीय प्रबंध एवं सूचना प्रणाली, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर की ओर वित्त विभाग की वेबसाइट www.cgfinance.nic.in में अपलोड करने हेतु।
-----उपरोक्त स.क्र. 8 एवं 9 पर अंकित अधिकारियों द्वारा सूचना के अधिकार पोर्टल (RTI Portal-rtionline.cg.gov.in) पर अविलम्ब कार्यभार प्राप्त करना/कार्यभार देने की कार्यवाही करें।


अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग